सरकार द्वारा ...

3-5-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कोविड-19 कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-6-2021 को पेश हो।

रीडर

सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन अनुशासन लाकडाउन घोषित।

7-6-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कोविड-19 कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-7-2021 को पेश हो।

रीडर

12-7-2021 वकील प्रार्थी उप०। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित है। वास्ते बहस T.I. हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस T.I. पत्रावली दि० 19-7-2021 को पेश हो।

19-7-2021 वकील उभयपक्ष उप०। वकील अप्रार्थी बहस को समय चाहते है। अतः वास्ते बहस अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली बहस हेतु दि० 20-7-2021 को पेश हो।

20-7-2021 वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 27-7-2021 को पेश हो।

27-7-2021 वकील उभयपक्ष उप०। वादग्रस्त भूमि ख० नं० 521/5.12 हे०, 522/0.03 हे० ग्राम हिंगोटया की मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने हेतु गैरसायलान को जरिए [illegible] पाबंद किया जाता है। [illegible] लिखा जाकर [illegible]। पत्रावली फैसल पत्रावली में शामिल [illegible] एवं बाद [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम [illegible] मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:06 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/2016	4.01.2016	27.7.2021

उगन्ती देवी पुत्री स्व. बजरंगलाल पत्नी सरवन लाल, जाति ब्राहमण. निवासी करौली तहसील व जिला करौली —सायला

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 बजरंग लाल जाति ब्राहमण निवासी बालाजी चौक के पास, गंगापुर सिटी, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (मृतक)
1/1 कान्ता पत्नी कैलाशचन्द, ब्राहम्ण, बालाजी चौक के पास, गंगापुर सिटी
1/2 राजकुमार उर्फ सीताराम | पुत्रगण कैलाशचन्द
1/3 मनोज उर्फ बन्टी | जाति ब्राहमण
1/4 अनिल कुमार उर्फ चिन्टू | निवासी बालाजी चौक के पास
1/5 अमित कुमार उर्फ सोनू | गंगापुर सिटी
2 लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, सायला की ओर से
श्री भानू कुमार सिंहल, एडवोकेट, गैरसायलान की ओर से

निर्णय

सायला ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नम्बर 421 क्षेत्रफल 4.12 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 422 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टर किता दो कुल क्षैत्रफल 4.1500 हैक्टर ग्राम हिंगोटिया तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। जिसके साबिक नम्बर क्रमशः 349 एवं 348 है। हॉल सेटिलमेन्ट मे इनके नवीन खसरा नम्बर क्रमशः 421 व 422 बने हैं। वादपत्र के साथ मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी संवत् 2019 एवं संवत् 2027 से 2030 एवं संवत् 2067 से 2070 एवं संवत् 2039 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ पेश है। उक्त आराजियात मथुरी बेवा बजरंग लाल की खातेदारी एवं कब्जे की रही है। सायला व गैरसायल संख्या 1 व कल्याणी, असर्फी, सन्तरा, बजरंग लाल एवं मथुरी बेवा बजरंग लाल की पुत्र पुत्रियॉ है एवं कमला, गीता, मुन्नी, मिथलेश, शिवकुमार, कमलेश, राजो, मथुरी बेवा बजरंग लाल की पुत्रियॉ सम्पति एवं रामपति की सन्तान पुत्र पुत्रियॉ है। मु0 सम्पति एवं रामपति पुत्रियान बजरंग लाल का स्वर्गवास हो चुका है। सायला की माता मु0 मथुरी पत्नी बजरंग लाल का स्वर्गवास हो चुका है। बजरंग लाल का स्वर्गवास भी माता से पहले ही चुका है। खातेदार मथुरी बेवा बजरंग लाल ब्राहमण निवासी गंगापुर सिटी के एक पुत्र गैरसायल संख्या 1 कैलाशचन्द है, एवं कल्याणी, असर्फी, सन्तरा, मथुरी की पुत्रिया ओर कमला, गीता, मुन्नी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:06 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मिथलेश, शिवकुमार, कमलेश, राजो, मथुरी के पुत्र पुत्रियान एवं पुत्रियों की सन्ताने है। जो मथुरी की जायदाद के, बजरंग लाल की जायदाद के हकदार है। आराजी वादग्रस्त के खातेदार काश्तकार है। यह वाद कृषि भूमि के संबंध नें पेश किया जा रहा है। भवन व व्यावसायिक परिसर के सम्बन्ध में अलग से वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। सायला गैरसायलान के साथ उक्त भूमि दर्ज वादपत्र पैरा नम्बर एक की संयुक्त खातेदार काश्तकार विधि अनुसार है। पक्षकार मुकदमा जाति ब्राहमण है, हिन्दू है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू है। सायला का उक्त कृषि भूमि में 1/7 हक हिस्सा है। आराजी खसरा नम्बर 421 एवं 422 जिसके साबिक नम्बरान 349, 348 है, खसरा नम्बर 422 चाह है, जो खसरा नम्बर 421 की भूमि की सिंचाई वास्ते है। उक्त आराजियात में मुझ सायला का 1/7, गैरसायल संख्या 1 का 1/7, कल्याणी, असफीं सन्तरा का 1/7–1/7, कमला,गीता, मुन्नी का 1/7 एंवं मिथलेश, शिवकुमार, कमलेश, राजो का 1/7 हक हिस्सा खातेदारी है। गैरसायल संख्या एक ने मुझ सायला एवं कल्याणी, असफीं सन्तरा, कमला गीता, मुन्नी, मिथलेश, शिवकुमार, कमलेश, राजो से एवं सम्पति व रामपति से छिपाते हुए सैटिलमेन्ट कर्मियों व राजस्व कार्मियों से मिलकर अकेले के नाम संवत् 2039 में खाता खातेदारी कायम करा लिया है। जो पूर्णतया अनाधिकार है, विला आधार है। मुझ सायला के एवं कल्याणी, असफीं, सन्तरा, कमला, गीता, मुन्नी, मिथलेश, शिवकुमार, कमलेश, राजो, के हक हकूक खातेदारी अधिकार पर प्रभावहीन एवं शून्य है और सायला पर बाध्यकारी नहीं है। सैटिलमेन्ट कर्मियों का पूर्व इन्द्राज को रिपीट करने का ही कार्य है। मुझ सायला को सैटिलमेन्ट कर्मियों ने कोई नोटिस नहीं दिया है। कोई सुनवाई का अवसर खातेदारी इन्द्राज अकेले कैलाशचंद के हक में करने से पूर्व नहीं दिया है जबकि गैरसायल कैलाशचंद भली भांति जानता है कि मथुरी बेवा बजरंग लाल की सायला एवं कल्याणी, असफीं, सन्तरा पुत्रियां है। गैरसायल नम्बर एक की सगी बहिनें है। रामपति एंव सम्पति गैरसायल संख्या 1 की सगी बहिन थी। कमला, गीता, मुन्नी, कमलेश, शिवकुमार, कमलेश, राजो, सम्पति व रामपति के पुत्र पुत्रियां है। गैरसायल नम्बर एक के हक में हुए सैटिलमेन्ट कर्मी इन्द्राज संवत् 2039 द्वारा भूप्रबन्ध विभाग हक हकूक सायला एवं कल्याणी, असफीं, सन्तरा, कमला, गीता, मुन्नी, मिथलेश, शिवकुमार, कमलेश, राजो खातेदारी काश्तकारी पर प्रभावहीन व शून्य है अवैध है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। सायला उक्त आराजी ख0न0 421 एवं 422 स्थित्त ग्राम हिंगोटिया तहसील गंगापुर सिटी में अपने 1/7 हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराने की विधिवत् अधिकारी है एवं सायला

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:06 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर

उसने हक मे उक्त भूमि के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में 1/7 हिस्सा भूमि की खातेदारी इन्द्राज कराने की विधि अनुसार अधिकारी है। सायला को गैरसायल नम्बर 1 के हक में हुए खातेदारी इन्द्राज की जानकरी माह मार्च एवं अप्रैल 2013 में पटवारी हल्का हिंगोटिया से जमाबंदी तहसील गंगापुर सिटी एवं जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर हुई है। इससे पूर्व सायला को गैरसायल नम्बर 1 के हक में हुई इन्द्राज तन्हा खातेदारी की जानकारी नहीं थी। सायला ने गैरसायल नम्बर एक से इस बावत कहा तो गैरसायल नम्बर 1 ने कहा कि मैं खातेदारी 1/7 भाग की तुम सायला के नाम करा दूंगा, परन्तु उसने खातेदारी सायला के नाम नहीं कराई। सायला ने कल्याणी, असर्फी, सन्तरा, कमला, गीता, मुन्नी, मिथलेश, शिवकुमार, कमलेश, राजो से भी इस सम्बन्ध में कहा तो उन्होंने सायला के साथ वाद प्रस्तुत करने मे दिलचस्पी नहीं ली तब सायला को यह वाद पत्र, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। सायला ने गैरसायल नम्बर 1 कैलाशचंद से उक्त भूमि का बंटवारा करने को, सायला का 1/7 हिस्सा भाग खातेदारी अलग करने को दिनांक 01.12.2015 को पुनः कहा तो गैरसायल नम्बर 1 कैलाशचंद ने बंटवारा करने से, खातेदारी सायला के हक में 1/7 भाग की कराने पर इन्कार कर दिया और यह भी कहा की वो सायला को कोई हिस्सा नही देगा तथा भूमि को दीगर लोंगो को रहन वय करेगा जबकि सायला भूमि में 1/7 हिस्सा भू–भाग खातेदारी की अधिकारी है। उक्त भूमि सायला एवं गैरसायल नम्बर 1 व कल्याणी, असर्फी, सन्तरा, कमला, गीता, मुन्नी, मिथलेश, शिवकुमार, कमलेश, राजो के संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की है और सायला गैरसायलान ने अपना विधिवत् बंटवारा करा अपना 1/7 हिस्सा भू–भाग सेपरेट कराने की की सैपरेट हिस्सा अनुसार खातेदारी इन्द्राज कराने की लगान सैपरेट करोन की अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि गैरसायलान को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पत्र इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 421 एवं 422 स्थित ग्राम हिंगोटिया तहसील गंगापुर सिटी को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं करें। हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन नही करावें एवं सायला के 1/7 हिस्सा का भू–भाग खातेदारी काश्तकारी अधिकार में, कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य, अपने पुत्रगण आदि से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:06 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया। गैरसायल संख्या 2 बावजूद उपस्थित नही हुआ। अतः गैरसायल संख्या 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

गैरसायल सं0 1/3 की ओर से जबाब इस आशय का पेश किया गया कि विवादित भूमि मुथरी पत्नि बजरंग लाल की खातेदारी में थी लेकिन मथुरी का इन्तकाल सन 2005 से पूर्व ही हो चुका है। सन 2005 से पूर्व ही उक्त भूमि की खातेदारी कैलाश चन्द पुत्र बजरंगलाल के नाम दर्ज हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में बजरंगलाल की पुत्रियों को एवं सायलान का बजरंगलाल की उक्त भूमि को कोई सम्बन्ध नही है। सन 2005 से पूर्व ही जब भूमि कैलाश चन्द के नाम दर्ज हो चुकी थी तो स्थिति मे सायलान एवं बजरंगलाल की अंन्य पुत्रियां कुछ भी प्राप्त करने की अधिकारी नही है। सायला द्वारा दावा गलत पेश किया है। इसलिये सायला को कैलाश चन्द की भूमि मे कोई हक नही होने के कारण दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है। विवादित भूमि सायला का कोई हिस्सा नही है लेकिन कैलाशचंद के अन्य वारिसों ने एवं सायला ने गैरसायल मनोज कुमार के हिस्से को खतम करने के लिये मिलीभगत से यह दावा पेश किया है। जिसमें सायला एवं कैलाश चंद के अन्य वारिसों ने गैरसायल मनोज के हिस्से को हडपने के उद्वेश्य की दुरूभि सन्धि कर रखी हैं। मुथरी के मरने के बाद मुथरी की उक्त भूमि कैलाश चंद के नाम दर्ज हो गयी थी। इसलिये 2005 से पूर्व हुये ट्रान्जेक्शन को 2005 के बाद पुत्रियों को चैलेन्ज करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र गैरसायलान से विथ कोलूजिव है। सायला एवं गैरसायलान बजरंगलाल की पुत्री एवं नवासे नवासी है जो मुथरी की चल अचल सम्पति मे कुछ प्राप्त करने की अधिकारी नही है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थन्ना पत्र सायला विरूद्ध गैरसायल मनोज पुत्र कैलाश मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

गैरसायल संख्या 1 कैलाश चंद की ओर से प्रकरण मे दिनांक 8.8.16, को ही टी.आई. प्रार्थना पत्र पर ज[illegible] किया जा चुका है। इस जबाब में गैरसायल कैलाश ने अंकित किया है कि सायला मथुरी बेवा बजरंगलाल की पुत्री नही है बल्कि सायला तो बजरंगलाल के भाई गेन्दीलाल उर्फ बालाबक्स की पुत्री है। सायला ने गलत सजरा पेश कर अपने आपको बजरंगलाल की वारिस बताते हुये गलत दावा, प्रार्थना–पत्र टी0आई0 पेश किये है। सायला ने उक्त मुथरी की मृत्यु कब हुई यह तथ्य भी स्पष्ट अंकित नही किया है। जबकि मुथरी की मृत्यु दिनांक 8.8.1980 को ही हो चुकी है। जिसकी फौतगी

उप जिला कलेक्टर एवं ... (seal)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:06 IST
Reason: SelfAttested

का नामान्तकरण मिन जबावदार गैरसायल संख्या 1 के पक्ष मे सन् 1982 मे खोला जा चुका है यदि सायला उक्त मुथरी की पुत्री होती तथा सायला का उक्त वादग्रस्त भूमि मे किसी तरह का कोई हक या हिस्सा होता तो सायला ने सन 1982 से लेकर अबतक इस बाबत कार्यवाही क्यो नही की? उक्त तथ्य से ही यह स्पष्ट है कि सायला का उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी तरह का कोई हक व हिस्सा नही है। बजरंगलाल की मृत्यु उक्त मुथरी से भी पहले हो जाना स्वीकार है। उक्त मुथरी का मिन जबावदार गैरसायल संख्या 1 का एक मात्र पुत्र होना स्वीकार है, शेष जिस कदर तहरीर हैं गलत होने से स्वीकार नही है। सायला उक्त भूमि मे गैरसायल के साथ कोई संयुक्त खातेदार काश्तकार नही है न ही सायला का उक्त भूमि से कोई हक व हिस्सा है। सायला ने उक्त दावा वारिस की हैसियत से अपने आपको मुथरी की पुत्री बताते हुए मुथरी की भूमि में अपने आपको 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु पेश किया हैं जबकि कानूनी स्थिति यह है कि यदि सायला उक्त मुथरी की पुत्री होती तो भी उक्त मुथरी की मृत्यु सन 2005 से पूर्व ही हो चुकी थी इस कारण मुथरी की पुत्रियों का उसकी जायदाद मे कोई हिस्सा कानूनन नही बनता है। गैरसायल संख्या 1 के हक मे गैरसायल की माता मुथरी की फौतगी का नामान्तकरण कोई तथ्य छिपाकर नही खुलवाया गया है बल्कि कानून सम्मत तरीके से खुला है। सायला जब उक्त मुथरी की कोई पुत्री ही नही है तो सायला के हक में मुथरी की फौतगी का नामान्तकरण खुलने का कोई प्रश्न पैदा नही होता है। इसके अलावा मथुरी की मृत्यु के समय ऐसा कोई कानून प्रभाव में नही था कि फौतगी का नामान्तकरण मृतक की पुत्रियों के नाम भी खोला जावें। इस तरह सायला ने इस मद में तमाम बाते गलत व मनगढन्त तरीके से तथ्य लिखते हुए झूँठी कार्यवाही की है जो मय खर्चा निरस्त होने योग्य है। सायला वादग्रस्त आराजी ने स्वयं का हिस्सा क्लेम कर रही है अथवा तथाकथित कल्याणी, अशरफी वगैहरा की पैरवी कर रही है। यदि उक्त वादग्रस्त आराजी में कल्याणी, अशरफी वगैहरा का कोई हक व हिस्सा होता तो ऐसी कार्यवाही वे स्वयं ही कर सकती थी। मगर उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। सायला गलत तरीके से उक्त वादग्रस्त आराजी मे अपना हक जताना चाहती है। उक्त वादग्रस्त आराजी का जो सेटिलमेन्ट खतौनी [illegible] संवत 2039 भू–प्रबंधन विभाग द्वारा गैरसायल जबावदार के हक मे किया गया है कोई प्रभावहीन व शून्य नही है, ना ही अवैध है। जब मथुरी की मृत्यु सन् 1980 मे ही चुकी थी उक्त वादग्रस्त आरजी के राजस्व रिकार्ड मे गैरसायल जबावदार का नाम सन् 1982 मे ही दर्ज हो चुका था तो करीब 31–32 साल बाद प्रार्थना पत्र टी0आई0 के इस

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:06 IST
Reason: SelfAttested

न्द ने लिखे अनुसार माह मार्च एवं अप्रैल 2013 में सायला को उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकले लेने की क्या आवश्यकता पडी, ऐसा कोई खुलासा सायला ने नही किया है जबकि सायला को उक्त समस्त इन्द्राज की शुरु से ही पूर्ण जानकारी रही है। गैरसायल ने जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि सायला कोई मथुरी बेवा बजरंगलाल की पुत्री नही है बल्कि बजरंगलाल के भाई गेन्दीलाल उर्फ बालाबक्स की पुत्री है। सायला दावा मुथरी की आराजीयात मे स्वयं का हक जताने की गरज पेश किया है सायला का कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। मिन जबाबदार संख्या 1 उक्त वादग्रस्त आराजी रिकार्डेड है। कानूनन खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जैसा अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सायला का उक्त प्रार्थना पत्र टी0आई0 गलत तथ्यो पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

गैरसायल संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब का जबाबुल जबाब सायला की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया के पिता बजरंग लाल है और माता श्रीमति मुथरी है, और अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थिया का सगा भाई है। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थिया ने सजरा सही अंकित किया है, प्रार्थना पत्र सही पेश किया है, अप्रार्थी संख्या 1 ने सही सजरा क्या है, अपने प्रार्थना पत्र मे नही बताया है, अप्रार्थी संख्या 1 ने बजरंल लाल की प्रार्थिया के अलावा अन्य तीन पुत्रियॉ है, जो अप्रार्थी संख्या 1 के सजरे में दर्ज है, उनके सम्बन्ध में कुछ नही बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उनको अपनी सगी बहिन होने से इनकार नही किया है, गैंदी लाल के कोई पैदायशी पुत्र नही है, उनके दो पुत्र है– कल्याण प्रसाद व हीरा लाल हैं जिनका निधन हो गया है। कल्याण प्रसाद के एक पुत्री कान्ता है जो कि ग्राम महू (गंगापुर सिटी) मे बनवारी लाल को परणी है, हीरा लाल पुत्र गैंदी लाल के दो पुत्र मुरारी लाल व कृष्ण कुमार है, कृष्ण कुमार के चार पुत्र– शिवदयाल, गजानंद, रमेश व गिर्राज है मुरारी का एक पुत्र है जो बाहर रहता है कल्याण प्रसाद, हीरा लाल, कृष्ण कुमार व मुरारी लाल का निधन हो चुका है, ... गैंदी लाल के कोई पुत्र नहीं है, अप्रार्थी कैलाश ने सही स्थिति को छिपाते हुए जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबाव प्रार्थना पत्र के समर्थन मे झूठा शपथ पत्र पेश किया है। मुझ प्रार्थीया ने कोई तथ्य नही छिपाया है। प्रार्थना पत्र मे कोई भी तथ्य गलत दर्ज नही किया है। माता मथुरी के निधन के बाद नामान्तकरण प्रार्थिया से छिपाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने असत्य तौर पर अकेले अपने नाम कराया है, उसने अपने अकेले के नाम जमाबंदी इन्द्राज अनाधिकार तौर पर बिना आधार दर्ज कराये है, जो हक हकूक हिस्सा खातेदारी अधिकारी प्रार्थिया पर प्रभावहीन व शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:06 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

है। श्रीमति मुथरी देवी का [illegible] अकेला कैलाश नहीं होकर प्रार्थिया व अन्य लड़किया जो सफरा प्रार्थना पत्र मे बताई गई है भी है, विधि अनुसार प्रार्थीया 1/7 हिस्सा भूमि की खातेदार है। प्रार्थिया धारा 15 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार विधिक तौर पर उत्तराधिकारी व वारिस है। सन् 1980 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 प्रभावी रहा है, विभाजन के बाद जो भी पक्षकार हिस्सेदार होते है, उनका हक हकूक भूमि मे होता है। प्रार्थिया को अपना वाद पेश करने का कानूनन अधिकार है, सैटिलमैन्ट इन्द्राज सं0 2039 बहक अप्रार्थी संख्या 1 कैलाश चंद अनाधिकार है, बिना आधार है जो हक हकूक प्रार्थिया पर प्रभावशून्य है, बाध्यकारी है बिना आधार जमाबंदी इन्द्राज कानून प्रार्थिया के हक हकूक पर कोई विपरित प्रभाव नही रखते है, प्रार्थिया अपना हक हकूक न्यायालय से तय कराने की अधिकारिणी है, नामान्तकरणं फिस्कल व्यवस्था है, इससे खातेदारी अधिकार तय नही होते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान धारा 15 एवं दर्ज शिड्यूल वर्ष 2005 मे भी प्रभावी थे और आज भी प्रभावी है। कैलाश ने प्रार्थीया को अपनी सगी बहिन होना मानते हुए व्यवहार किया है, प्रार्थिया के लडके की शादि मे मामा मिलनी ली है। अप्रार्थी संख्या 1 ने असत्य जबावदेही की है और असत्य तौर पर शपथ पत्र पेश किया है तथा न्यायालय को धोखा दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व न्यायालय द्वारा धारा 340 सी0आर0पी0सी0 के तहत दाण्डित कार्यवाही भी किया जाना न्यायोचित है। अतः जवाबुल जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थिया की ओर से पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन ने सायला ने छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2067–2070 ग्राम हिगोटिया खाता संख्या 35, छायाप्रति नकल खतौनी जमाबंदी भूप्रबन्ध संवत 2039 खाता संख्या 29, छायाप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध, छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2027–2030, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र उगन्ती देवी प्रस्तुत किये है।

जबाब के समर्थन मे गैरसायलान की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:06 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

सायला के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। जिसका साबिक ख0न0 348, 349 रहा है। भूप्रबन्ध के दौरान इसका नवीन नम्बर 421, 422 बना है। साबिक रिकार्ड के अनुसार भूमि ख0न0 348, 349 की खातेदारी सायला की माता मुथरी देवी के नाम दर्ज रही है। मुथरी देवी की मृत्यु के

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

[illegible]
[illegible] वादग्रस्त भूमि [illegible] कैलाशचंद ने
(पुत्र-पुत्रियों) के नाम दर्ज होना [illegible] था परन्तु गैरसायल कैलाशचंद ने
राजस्व अधिकारियों से मिलकर भूमि अपने नाम दर्ज करा ली। विधि अनुसार वादग्रस्त भूमि मे सायला का 1/7 हिस्सा बनता है जिसकी खातेदारी सायला प्राप्त करने की अधिकारी है। गैरसायलान गलत इन्द्राज होने के कारण भूमि का रहन वय कर सकते है इसलिए मूल वाद के निर्णय होने तक भूमि को रहन वय नही करने हेतु एवं सायला के 1/7 हिस्से मे सायला को कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करने हेतु गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

गैरसायलान के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि सायला स्वर्गीय बजरंगलाल की पुत्री नही होकर बजरंगलाल के भाई गेंदीलाल उर्फ बालावक्श की पुत्री है। सायला ने गलत सजरा पेश किया है। सजरा सही है। यह तथ्य सायला को स्वयं को साबित करना है। मुथरी के मृत्यु 1980 मे हो चुकी थी एवं 1982 में वादग्रस्त भूमि गैरसायल कैलाशचंद के नाम दर्ज हो चुकी है। इसके बाद से दावा दायरी तक सायला ने कही कोई आपत्ति नही की है। सारे इन्द्राज सायला की जानकारी मे शुरू से ही रहे है। सायला को वादग्रस्त भूमि मे खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है क्योकि भूमि गैरसायल कैलाशचंद के नाम विरासत मे 2005 से पूर्व ही आ चुकी है। सायला का भूमि पर कब्जा भी नही है तथा सायला भूमि की सहखातेदार भी नही है। कैलाशचंद भूमि का खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध तथा कब्जे के अभाव मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। सायला का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2027–30 के अनुसार मुथरी जोजे बजरंगलाल जाति ब्राह्मण निवासी गंगापुर की खातेदारी मे दर्ज रही है। भूप्रबन्ध मे वादग्रस्त भूमि गैरसायल कैलाशचंद के नाम दर्ज हुई है। जो आज भी दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर सायला स्पष्ट रूप से अपना कब्जा प्रमाणित नही कर पायी है परन्तु वादग्रस्त भूमि सायला की माता मुथरी देवी की खातेदारी दर्ज रही है। इससे [illegible] भूमि मे सायला का प्रथम दृष्टया हिस्सा होना प्रमाणित होता है। जहाँ [illegible] गैरसायल की इस आपत्ति का प्रश्न है कि सायला बजरंगलाल की पुत्री नही है, इस प्रश्न का निर्धारण मूल वाद मे ही होना है। यहाँ प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु देखे जाने है। अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि सायला की माता मुथरी के नाम दर्ज होना प्रमाणित है। जिसके अनुसार सायला को वादग्रस्त भूमि मे हक

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:06 IST
Reason: SelfAttested

हासिल है। वादग्रस्त भूमि मे सायला का हक सुरक्षित रहे, ऐसी स्थिति मे हम प्रस्तुत मामले मे वादग्रस्त भूमि की मौका एवं रिकार्ड की स्थिति ताफैसला दावा यथावत रखना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान वादग्रस्त भूमि ख0न0 421 रकबा 4.12 है0, ख0न0 422 रकबा 0.03 है0 ग्राम हिगोटिया की मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 27.7.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:06 IST
Reason: SelfAttested